कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कमांकः–शिविरा / प्रार / नियु.प्रको / नियु–2 / 982 / शिक्षक भर्ती–2018 / लेवल द्वितीय / 2018 दिनांकः– 23/08/18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, समस्त

विषय :– एसबी सिविल याचिका संख्य 19113 / 17 धमेन्द्र कुमार भींचर व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21–08–2018 की पालना सुनिश्चित करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल द्वितीय अंग्रेजी गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 11–09–2017 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 19113 / 17 धमेन्द्र कुमार भींचर व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21–08–2018 में बी.ए. एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को लेवल द्वितीय अंग्रेजी पद हेतु पात्र नहीं माना गया है।

अतः उक्त न्यायिक आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) लेवल–द्वितीय अंग्रेजी गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों हेतु नवीन चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता / नियुक्ति प्रदान करते समय उक्त न्यायिक निर्णय की पालना सुनिश्चित करे, न्यायिक निर्णय की अवहेलना की स्थिति में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।

संलग्न : न्यायिक आदेश की प्रति

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिलें
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, विधि, जयपुर / जोधपुर।
7. कार्यालय प्रति।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com